रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 ई० (आश्विन 19, 1947 शक संवत्) [संख्या 41

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	535–540	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1029–1042	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1561-1578	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राजस्व विभाग

अनुभाग–8

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

03 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 I / 812536 / 1-8001 / 4 / 2024 / एक-8-2024-रा0-8–श्री राज्यपाल महोदय चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री दीवान सिंह नेगी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी (ज्येष्ठता क्र0-57), जनपद-ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) को उप संचालक चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 6,600 / –, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री दीवान सिंह नेगी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप संचालक चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

सं0 I / 812540 / 1-8001 / 4 / 2024 / एक-8-2024-रा0-8–श्री राज्यपाल महोदय चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री पुष्कर बाबू, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी (ज्येष्ठता क्र0-54), जनपद-बिजनौर को वर्तमान तैनाती के जनपद में उप संचालक चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 6,600 / –, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री पुष्कर बाबू, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप संचालक चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री पुष्कर बाबू की तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

30 जनवरी, 2025 ई0

सं0 I / 866475 / एक-8-2025-रा0-8–श्री राज्यपाल महोदय चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री शैलेश कुमार शाही, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-98) बुलन्दशहर, वर्तमान में सम्बद्ध ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को वर्तमान तैनाती के जनपद-बुलन्दशहर में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400 / –, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री शैलेश कुमार शाही, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री शैलेश कुमार शाही की तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

13 फरवरी, 2025 ई0

सं0 I/879767/1-8001/4/2024/एक-8-2025-रा0-8–श्री राज्यपाल महोदय चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री रामकिशोर, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी (ज्येष्ठता क्र0-60), जनपद बदायूँ को वर्तमान तैनाती के जनपद में उप संचालक चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 6,600/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री रामकिशोर, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप संचालक चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री रामकिशोर, नवप्रोन्नत उप संचालक चकबन्दी की तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

24 फरवरी, 2025 ई0

सं0 I/889351/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2025-रा0-8–श्री राज्यपाल महोदय चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री संजय कुमार दुबे, चकबन्दी अधिकारी (ज्येष्ठता क्र0-100) जनपद-बिजनौर को वर्तमान तैनाती के जनपद बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/–, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री संजय कुमार दुबे, चकबन्दी अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3– श्री संजय कुमार दुबे, नवप्रोन्नत बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव।

गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग–3

अधिसूचना

27 फरवरी, 2025 ई0

सं0 I/890914/2025--सी0एक्स0-3–चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अधीन फूलपुर से हलदिया तक बिछायी गयी गैस पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति के लिये किया जाता है,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद-258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग-दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार को न्यस्त किया है,

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक **"प्रतिषिद्ध स्थान"** घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी–

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
गेल इण्डिया लिमिटेड स्टेशन एस0वी0–2, ग्राम-कमासिन, परगना-धिसुआ, तहसील-मछलीशहर, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में-	शेष भाग गाटा सं0-112
पश्चिम में-	सड़क (पी0डब्लू0डी0)
उत्तर में-	खेत नन्दलाल पुत्र अमरनाथ गाटा सं0-113
दक्षिण में-	खेत फूलचन्द्र गाटा सं0-95

आज्ञा से,
राजेश कुमार
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of **Notification No. I/890917/2025-CX-3,** dated February 27, 2025 for general information :

Notification

February 27, 2025

No. I/890917/2025/CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supply of Gas through the pipeline laid from Phulpur to Haldia under the Pradhan Mantri Urja Ganga Project;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the Destruction or Obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article-258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963, published in Part II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extra Ordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in Sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a **"prohibited place"** for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
Gail India Limited Station SV-2, Village-Kamasin, Pargana-Ghisua, Tehsil-Machhalishahr, District-Jaunpur, Uttar Pradesh.	
In *East*-	Remaining Part Gata No. 112
In *West*-	Road (P.W.D.)
In *North*-	Field Nandlal S/o Amarnath Gata No. 113
In *South*-	Field Foolchand Gata No. 95

By Order,
Rajesh Kumar,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0—28 हिन्दी गजट—भाग 1—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 19, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

November 21, 2024

No. 2026/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 949/II-4-2024 dated 21.11.2024, Sri Ramesh Chand-I, Principal Judge, Family Court, Siddharth Nagar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Barabanki.

No. 2027/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 949/II-4-2024 dated 21.11.2024, Sri Akhilesh Kumar Pathak, Principal Judge, Family Court, Ghazipur is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Maharajganj.

No. 2028/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 949/II-4-2024 dated 21.11.2024, Sri Ashok Kumar-IX, Principal Judge, Family Court, Farrukhabad is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Sonbhadra.

No. 2029/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 949/II-4-2024 dated 21.11.2024, Sri Mahendra Singh-III, Principal Judge, Family Court, Bulandshahar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Firozabad.

No. 2030/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 949/II-4-2024 dated 21.11.2024, Sri Vipin Kumar-I, Principal Judge, Family Court, Agra is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mahoba.

No. 2031/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 949/II-4-2024 dated 21.11.2024, Sri Sudhir Kumar-IV, Presiding Officer, Commercial Court No.1, Agra is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Hathras.

No. 2032/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 949/II-4-2024 dated 21.11.2024, Sri Rajesh Kumar Singh, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mahoba is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Hardoi.

No. 2033/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 949/II-4-2024 dated 21.11.2024, Sri Manoj Kumar Agarwal, Principal Judge, Family Court, Aligarh is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Jaunpur.

No. 2034/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. /2024/1065/VII-Nyay-2-2024- 58G/2001 dated 13.11.2024, Sri Bhagwan Dayal Bharti, Principal Judge, Family Court, Kushinagar to be Principal Judge, Family Court, Lakhimpur Kheri.

No. 2035/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. /2024/1065/VII-Nyay-2-2024- 58G/2001 dated 13.11.2024, Sri Vishambhar Prasad, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mau to be Principal Judge, Family Court, Bulandshahar.

No. 2036/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. /2024/1065/VII-Nyay-2-2024- 58G/2001 dated 13.11.2024, Smt. Tripta Chaudhary, Principal Judge, Family Court, Lakhimpur Kheri to be Principal Judge, Family Court, Agra.

No. 2037/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. /2024/1065/VII-Nyay-2-2024- 58G/2001 dated 13.11.2024, Sri Randheer Singh, Chairman, Commercial Tax Tribunal, Lucknow to be Principal Judge, Family Court, Aligarh.

No. 2038/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. /2024/1065/VII-Nyay-2-2024- 58G/2001 dated 13.11.2024, Sri Shamshul Haque, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Hardoi to be Principal Judge, Family Court, Fatehpur.

November 22*,* 2024

No. 2039/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 946/II-4-2024 dated 22.11.2024, Smt. Pratima Srivastava, District & Sessions Judge, Unnao is appointed/posted as Chairperson, Commercial Tax Tribunal, Lucknow.

No. 2040/Admin.(Services)/2024–Smt. Vani Ranjan Agrawal, District & Sessions Judge, Jaunpur to be District & Sessions Judge, Unnao.

No. 2041/Admin.(Services)/2024–Sri Anil Kumar Verma-I, District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar to be District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 2042/Admin.(Services)/2024–Sri Mahendra Prasad Chaudhary, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Banda to be District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar.

No. 2043/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 946/II-4-2024 dated 22.11.2024, Sri Udai Pratap Singh, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Jhansi is appointed/posted as Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Lucknow.

No. 2044/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 946/II-4-2024 dated 22.11.2024, Sri Sanjai Veer Singh, Principal Judge, Family Court, Sant Kabir Nagar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Ghaziabad.

No. 2045/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 946/II-4-2024 dated 22.11.2024, Sri Arbind Kumar Upadhyay, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Ballia is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar (North).

No. 2046/Admin.(Services)/2024–Sri Sanjay Kumar Yadav-I, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Aligarh *vice* Sri Praveen Kumar Pandey.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Aligarh against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 2047/Admin.(Services)/2024–Sri Praveen Kumar Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

No. 2048/Admin.(Services)/2024–Sri Rakesh Vashisht, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Aligarh for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Subhash Chandra-VIII.

No. 2049/Admin.(Services)/2024–Sri Subhash Chandra-VIII, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

No. 2050/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 946/II-4-2024 dated 22.11.2024, Sri Sanjiv Kumar Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Aligarh is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Banda.

No. 2051/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 946/II-4-2024 dated 22.11.2024, Sri Krishna Swaroop Dhar Dwivedi, Senior Registrar (Judicial) (Confidential), High Court of Judicature at Allahabad is appointed/posted as Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Prayagraj.

No. 2052/Admin.(Services)/2024–Sri Niraj Gautam, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghaziabad in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Sri Nirmal Chandra Semwal.

No. 2053/Admin.(Services)/2024–Sri Nirmal Chandra Semwal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Registrar (Judicial) (Confidential), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 2054/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 952/II-4-2024 dated 22.11.2024, Dr. (Smt.) Reema Bansal, Additional District & Sessions Judge, Hapur is appointed/posted as Secretary, Office of Lokayukt, U.P., Lucknow on deputation basis.

No. 2055/Admin.(Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 952/II-4-2024 dated 22.11.2024, Sri Tripurari Mishra, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar is appointed/posted as Chief Investigating Officer, Office of Lokayukt, U.P., Lucknow on deputation basis.

November 23, 2024

No. 2056/Admin.(Services)/2024–Sri Rahul Anand-III, Additional Civil Judge, Junior Division, Sultanpur to be Civil Judge, Junior Division (North), Sultanpur *vice* Sushri Astha Mishra.

No. 2057/Admin.(Services)/2024–Sushri Astha Mishra, Civil Judge, Junior Division (North), Sultanpur is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Sultanpur *vice* Smt. Manali Chandra.

No. 2058/Admin.(Services)/2024–Smt. Manali Chandra, Judicial Magistrate, First Class, Sultanpur to be Civil Judge, Junior Division (South), Sultanpur *vice* Sushri Anujaya Krishna.

No. 2059/Admin.(Services)/2024-Sushri Anujaya Krishna, Civil Judge, Junior Division (South), Sultanpur to be Additional Civil Judge, Junior Division, Sultanpur.

November 26, 2024

No. 2060/Admin.(Services)/2024–Sri Nishant Shaiva, Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Etah against the special court created for trying cases under the said Act.

November 29, 2024

No. 2061/Admin.(Services)/2024–On reinstatement, Sri Narendra Pal Rana, the then Additional District & Sessions Judge, Aligarh (Under suspension attached with district headquarter at Etah) to be Additional District & Sessions Judge, Etah.

No. 2062/Admin.(Services)/2024–On reinstatement, Smt. Manisha, the then Additional District & Sessions Judge, Aligarh (Under suspension attached with district headquarter at Etah) to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ali Raja.

No. 2063/Admin.(Services)/2024–Sri Ali Raja, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah *vice* Sri Shashi Bhushan Kumar Shandil.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Etah against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 2064/Admin.(Services)/2024–Sri Shashi Bhushan Kumar Shandil, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah *vice* Sri Nishant Shaiva.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Etah against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 2065/Admin.(Services)/2024–Sri Nishant Shaiva, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge, Etah.

No. 2066/Admin.(Services)/2024–On reversion to the regular line, Smt. Mamta Gupta, Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Legal Cell), Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 2067/Admin.(Services)/2024–Sri Har Vindra Singh, Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pratapgarh for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Babu Ram.

No. 2068/Admin.(Services)/2024–Sri Babu Ram, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 2069/Admin.(Services)/2024–Smt. Sneh Lata Singh, Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pratapgarh *vice* Sri Ajay Kumar-I.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Pratapgarh against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 2070/Admin.(Services)/2024–Sri Ajay Kumar-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh for trying cases of crime against women *vice* Smt. Sunita Singh Nagore.

No. 2071/Admin.(Services)/2024–Smt. Sunita Singh Nagore, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission.

November 30, 2024

No. 2072/Admin.(Services)/2024–In partial modification in Court's Notification Nos. 2061 & 2062 /Admin.(Services) /2024 dated 29.11.2024, the words 'the then Additional District & Sessions Judge, Aligarh' be read as 'the then Additional District & Sessions Judge, Ballia'.

December 03, 2024

No. 2073/Admin.(Services)/2024–On reversion to the regular line, Smt. Sandhya Srivastava, Chairman, Waqf Tribunal, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Varanasi *vice* Sri Manoj Kumar Singh-II.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Varanasi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 2074/Admin.(Services)/2024–Sri Manoj Kumar Singh-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi *vice* Sri Shailender Singh.

No. 2075/Admin.(Services)/2024–Sri Shailender Singh, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption (V.B.U.P.S.E.B.), Varanasi *vice* Sri Vinod Kumar-VI.

No. 2076/Admin.(Services)/2024–Sri Vinod Kumar-VI, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 2077/Admin.(Services)/2024–On reversion to the regular line, Sushri Meeta Pandey, Law Officer (Women), UP Rajya Mahila Ayog, Lucknow to be Civil Judge (Junior Division)(West), Prayagraj *vice* Sushri Shikha Chaudhari.

No.2078/Admin.(Services)/2024–Sushri Shikha Chaudhari, Civil Judge, Junior Division (West), Prayagraj is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj *vice* Sushri Priyamvada Priyadarshini.

No.2079/Admin.(Services)/2024-Sushri Priyamvada Priyadarshini, Judicial Magistrae, First Class, Prayagraj to be Civil Judge, Junior Division (East), Prayagraj *vice* Sri Digvijay Singh.

No. 2080/Admin.(Services)/2024–Sri Digvijay Singh, Civil Judge, Junior Division (East), Prayagraj is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj *vice* Sri Abhishek Sharma.

No. 2081/Admin.(Services)/2024–Sri Abhishek Sharma, Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj to be Additional Civil Judge, Junior Division, Prayagraj.

No. 2082/Admin.(Services)/2024–Sri Sandeep Singh-II, Additional Civil Judge, Junior Division, Prayagraj is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj vice Smt. Hemlata.

No.2083/Admin.(Services)/2024 Smt. Hemlata, Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj to be Additional Civil Judge, Junior Division, Prayagraj.

No. 2084/Admin.(Services)/2024–Sushri Akanchha Jaiswal, Additional Civil Judge, Junior Division, Prayagraj is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj *vice* Sri Nepal Singh.

No. 2085/Admin.(Services)/2024–Sri Nepal Singh, Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj to be Additional Civil Judge, Junior Division, Prayagraj.

By Order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

कार्यालय, जिला कलेक्टर, लखनऊ

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की उप धारा 93 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना

02 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 1681/(भू0अ0)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ–चूंकि खसरा सं0-44 रकबा 0.2700 हे0, 45 रकबा 0.0250 हे0, 47 रकबा 0.2390 व 52 रकवा 0.6150 स्थित ग्राम-बाघामऊ, तहसील व जिला-लखनऊ की 1.1490 हे0 भूमि की लोक प्रयोजन यथा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 की इण्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यकता थी, और जिसके अर्जन के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना सं0 357/8(भू0अ0)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त, 2023 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अधीन अधिसूचना संख्या-1047/(भू0अ0)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ दिनांक 10 फरवरी, 2025 निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 02 सितम्बर, 2025 को प्रकाशित की गयी थी।

और चूंकि उपर्युक्त अर्जित की जाने वाली नीचे अनुसूची सविस्तार वर्णित और दर्शायी गयी भूमि भू-स्वामी के कब्जे में है।

सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के पत्र-सं0 1005/ए0सी0/प्र0/2025, दि0 12 अगस्त, 2025 में खसरा सं0 44, 45, 47 व 52 कुल क्षेत्रफल 1.490 हे0 भूमि अर्जन से पृथक करने का उल्लेख है। अतएवं सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के पत्र-सं0 1005/ए0सी0/प्र0/2025, दि0 12 अगस्त, 2025 पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत भूमि को अर्जन से विरत रखा जाए।

अतएवं अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 93(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची में सविस्तार वर्णित और दर्शायी गई भूमि को अर्जन से प्रत्याहर्त करती है –

अनुसूची

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	बाघामऊ	44	0.2700
2					45	0.0250
3					47	0.2390
4					52	0.6150
					योग. .	**1.1490**

कलेक्टर/समुचित सरकार,
लखनऊ।

जिलाधिकारी, ललितपुर की आज्ञायें

11 जनवरी, 2024 ई0

सं0 682/आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2023-24)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	मडावरा	मडावरा	ठनगना ग्राम सभा ठनगना	22मि0	1.474 में से 1.000 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3-ड़/अन्य कृषि योग्य बंजर	गौ संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु पशु पालन विभाग के पक्ष में निःशुल्क

23 जनवरी, 2024 ई0

सं0 710/आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2023-24)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	मडावरा	मडावरा	मडावरा ग्राम सभा मडावरा	901/ 2मि0	0.222 में से 0.028 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3-ड़/ अन्य कृषि योग्य बंजर	पुलिस क्षेत्राधिकारी, मडावरा के कार्यालय निर्माण हेतु पुलिस विभाग के पक्ष में निःशुल्क

सं0 946/आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2023-24)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	अमरपुर ग्राम सभा महर्रा	584/1/6 415/ 3मि0	0.303 0.162	श्रेणी 5-3-ड़/बंजर श्रेणी 6(4)/पत्थर	नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क।
						योग. .	**0.465**	

04 मार्च, 2024 ई0

सं0 1010/आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2022-23)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा /स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	मडावरा	मडावरा	मडावरा ग्राम सभा मडावरा	1347 मि0	0.018 हेक्टेयर	श्रेणी 1-1 कृषि योग्य-नई परती	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मडावरा के भवन निर्माण हेतु आयुष विभाग के पक्ष में निःशुल्क।

06 मार्च, 2024 ई0

सं0 1030/आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2022-23)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	मडावरा	मडावरा	मदनपुर ग्राम सभा मदनपुर	146	0.048 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3-ड़/ जो अन्य कारणों से अकृषित हो।/बंजर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मदनपुर के भवन निर्माण हेतु आयुष विभाग के पक्ष में निःशुल्क।

07 मार्च, 2024 ई0

सं0 1031/आठ-एल0ए0सी0-वि0उपकेन्द्र(2023-24)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-28/741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	कुम्हैणी ग्राम सभा कुम्हैणी	1603/2मि0	0.281 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3-ड़/बंजर भूमि	33/11के0वी0 विद्युत उप केन्द्र, सैदपुर की स्थापना हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, ललितपुर उपरोक्त भूमि 30 वर्ष के लिए पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर बढ़ाया जायेगा।

सं0 1032/आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2023-24)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	तालवेहट	बानपुर	गदयाना गांवसभा गदयाना	1271 / 2मि0	0.202 हेक्टेयर	श्रेणी 5(3) / बंजर	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, गदयाना के निर्माण हेतु आयुष (स्वास्थ्य) विभाग के पक्ष में निःशुल्क।

07 मार्च, 2024 ई0

सं0 1034 / आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2023-24)–शासनादेश संख्या-258 / रा0-1 / 16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	टौरिया ग्राम सभा जैरवारा	458/2मि0 565/6	0.200 0.800	श्रेणी 6(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हो / पत्थर	गौ संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु पशुपालन विभाग के पक्ष में निःशुल्क।
						योग. .	**1.000**	

01 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 1176/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2022-23)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	महरौनी स्थानीय प्राधिकरण प्रबन्धन, महरौनी	1099	0.486 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3-ड़/ जो अन्य कारणों से अकृषित हो।/बंजर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महरौनी के भवन निर्माण हेतु आयुष विभाग के पक्ष में निःशुल्क।

20 जून, 2024 ई0

सं0 1557/आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2024-25)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव सभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	मडावरा	मडावरा	धौरीसागर	894 / 11मि0	0.050 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3 / बंजर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, धौरीसागर के भवन निर्माण हेतु आयुष विभाग के पक्ष में निःशुल्क।

अक्षय त्रिपाठी,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

09 मई, 2025 ई0

सं0 2353 / जी0-41 / 2024-25 / धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील–सरधना, परगना–दौराला, जनपद-मेरठ के ग्राम चिन्दौडी टप्पा लावड़ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

14 मई, 2025 ई0

सं0 2417 / जी0-352 / 2024-25 / धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील–करहल, परगना–बरनाहल, जनपद-मैनपुरी के ग्राम जगन्नाथपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2418 / जी0-154 / 2024-25 / धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना–उतरौला, जनपद-बलरामपुर के ग्राम मस्जिदिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2419 / जी0-153 / 2024-25 / धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में

प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना–फरीदपुर, जनपद-बरेली के ग्राम बरगवां में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2420/जी0-38ए/2024-25/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना–कन्नौज, जनपद-कन्नौज के ग्राम अटारानिस्फ ठठिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2421/जी0-354/2023-24/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व तहसील शिकोहाबाद, वर्तमान तहसील सिरसागंज, परगना–शिकोहाबाद, जनपद-फिरोजाबाद के ग्राम आलीपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2422/जी0-161ए/2024-25/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कर्वी, नवसृजित तहसील राजापुर, परगना–राजापुर, जनपद-चित्रकूट के ग्राम हर्रा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2423/जी0-226/2024-25/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना–बिधूना, जनपद-औरैया के ग्राम गनूपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

15 मई, 2025 ई0

सं0 2438/जी0-155/2023-24/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील–सदर, परगना–भोजपुर, जनपद-फर्रूखाबाद के ग्राम टाडा बहरामपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–28 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 19, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद्

(उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965
(उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–28 के अधीन)

सूचना

08 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 1122/एल0ए0सी0/एच0क्यू0-(पत्रावली-02)–जनपद चित्रकूट की आवासीय समस्या के समाधान हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद चित्रकूट में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–02, चित्रकूट प्रस्तावित की गयी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमा निम्नवत है–

पूर्व दिशा–मौजा ग्राम गोबरिया व तहसील–कर्वी, जिला–चित्रकूट के खसरा सं0–07, 10, 15 एवं मौजा ग्राम रानीपुर भट्ट व तहसील–कर्वी, जिला– चित्रकूट के खसरा सं0– 258, 257, 256

पश्चिम दिशा–मौजा ग्राम चकलाराज रानी व तहसील–कर्वी, जिला–चित्रकूट के खसरा सं0–150, 129, 145, 146, 167, 141, 140, 139

उत्तर दिशा–मौजा ग्राम चकलाराज रानी व तहसील–कर्वी, जिला–चित्रकूट के खसरा सं0–151, 152, 153, 157, 160, 159, 196, 203, 202, 201 एवं मौजा ग्राम अहमद गंज व तहसील–कर्वी, जिला–चित्रकूट के खसरा सं0– 281, 291, 279, 275, 274, 327, 328, 330, 315 (भाग), 333, 334, 378, 380, 381, 382, 369, 370, 368

दक्षिण दिशा–मौजा ग्राम चकलाराज रानी व तहसील–कर्वी, जिला–चित्रकूट के खसरा सं0– 170 (भाग), 174 (भाग) 173 (भाग) 176 183(भाग) 182 (भाग) 181 (भाग) 180 (भाग) 227 (भाग) 228 (भाग) 229 (भाग) 219 (भाग) 220 (भाग) 235 237 (भाग), 238 (भाग) एवं मौजा ग्राम अहमद गंज व तहसील–कर्वी, जिला–चित्रकूट के खसरा सं0– 300 286 (भाग), 299 (भाग) 287 (भाग) 288(भाग) 298 (भाग) 319 (भाग), 315 (भाग) 311 तथा मौजा ग्राम रानीपुर भट्ट व तहसील–कर्वी, जिला–चित्रकूट के खसरा सं0– 250, 251, 252, 255, 35, 39 यह भी घोषणा की जाती है कि परिषद की राय में उक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ जायेगा। योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्वि होने के सम्बन्ध में भू–स्वामी अथवा उसके स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उक्त योजना क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्योरा, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड–02, चित्रकूट एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बांदा में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ0प्र0 गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बंन्धित आपत्तियां कार्यालय, आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड–02, बाँदा एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बांदा में प्रेषित की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही–सही अंकित होना चाहिये।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKASH PARISHAD

[Land Acquisition Section]

[Notice Under Section-28 of the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act. No. 1 of 1966)]

NOTICE

September 08, 2025

No. 1122/L.A.C./H.Q.(File No.-02)--The U.P. Awas Evam Vikas Parishad has framed a scheme called Bhoomi Vikas Evam Grihsthan yojna No.-2, Chitrakoot with a view to solve the acute housing problem of Chitrakoot city.

The Boundary of the Area Comprised in the scheme are as follows:-

East- Village Gobariya, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. 07,10,15 and Village Ranipur Bhatt, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. 258, 257, 256.

West- Village Chaklaraj Rani, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. 150, 129, 145, 146, 167, 141, 140, 139

North- Village Chaklaraj Rani, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. –151, 152 ,153, 157, 160, 159, 196, 203, 202, 201 and Village Ahamad Ganj Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 281, 291, 279, 275, 274, 327, 328, 330, 315 (Part), 333, 334, 378, 380, 381, 382, 369, 370, 368

South- Village Chaklaraj Rani, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 170 (Part), 174 (Part), 173 (Part), 176, 183 (Part), 182 (Part), 181(Part), 180 (Part), 227 (Part), 228 (Part), 229 (Part), 219 (Part), 220 (Part), 235, 237 (Part), 238 (Part) and Village Ahamad Ganj Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 300, 286 (Part), 299 (Part), 287 (Part), 288 (Part), 298 (Part), 319 (Part), 315 (Part), 311 and Village Ranipur Bhatt, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 250, 251, 252, 255, 35, 39

It is also declared that on the execution of the housing and Development Scheme aforesaid, any land in that area comprised in the scheme which may not be required for execution there of will in the opinion of the board be increased in V value "Betterment Fee" in accordance with provision of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam shall be payble by owner of the land or by any person having an intrest there in respect of increased in the value of the land resulting from the execution of the scheme.

The map of area Particular of the scheme and detail of land proposed to be acquired may be seen at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg Lucknow, office of the Executive Engineer, Construction Division Bundelkhand-02, Banda or Collectorate Compound Banda on any working day between 11.00 A.M. to 3.00 P.M.

Objection to the scheme shall be received at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg Lucknow, Office of the Executive Engineer Construction Division Bundelkhand-02 Banda or Collectorate Compound Banda by at the date within 30 days form the date on which this notice is first published in Uttar Pradesh Gazette. Correct Name of the Scheme and full Particular of the land/building of the objector with in the scheme and, name of Village, khasra No. area etc. should be clearly mentioned in every objection.

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–28 के अधीन)

सूचना

16 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 1170/एल0ए0सी0/एच0क्यू0-(पत्रावली-02)–जनपद बाँदा की आवासीय समस्या के समाधान हेतु उ0प्र0 आवास एव विकास परिषद द्वारा जनपद बाँदा में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–02, बाँदा प्रस्तावित की गयी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमा निम्नवत हैः–

पूर्व दिशा–मौजा ग्राम मवई बुर्जुग व तहसील–बाँदा, जिला–बाँदा के खसरा सं0–3806, 3815, 3666, 3630(भाग) एवं 3721(भाग)

पश्चिम दिशा–मौजा ग्राम मवई बुर्जुग व तहसील–बाँदा, बाँदा–चिल्ला–कानपुर मार्ग खसरा सं0–3276

उत्तर दिशा–बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वें की सर्विस लेन से लगे खसरो की भूमि का विवरण –मौजा ग्राम मवई बुर्जुग व तहसील–बाँदा, जिला–बाँदा के खसरा सं0– 4196 (भाग) 4194 (भाग) 3863 (भाग) 3862 (भाग) 3519 (भाग) 3473 (भाग) 3474 (भाग) 3475 (भाग) 3476 (भाग) 3489 (भाग) 3488 (भाग) 3487 (भाग) 3486 (भाग) 3485 (भाग) 3481 (भाग) 3482 (भाग) 3539 (भाग) 3540 (भाग) 3578 (भाग), 3711 (भाग) 3709 (भाग), 3708 (भाग) ,3707 (भाग), 3704 (भाग) 3699 (भाग) 3686 (भाग) 3685 (भाग) 3684 (भाग) 3705 (भाग) 3597 (भाग) 3598 (भाग) 3599 (भाग) 3600 (भाग) 3610 (भाग) 3629 (भाग) 3630 (भाग)

दक्षिण दिशा–मौजा ग्राम मवई बुर्जुग व तहसील–बाँदा, जिला–बाँदा के खसरा सं0– 4215, 4216, 4219, 4221, 4222, 4223, 4147, 4146, 4145, 4144, 4143–3862 (भाग), 3863 (भाग)

प्रस्तावित योजना से जल निकासी हेतु चयनित नाले तक के खसरों का विवरण–मौजा ग्राम मवई बुर्जुग व तहसील–बाँदा, जिला–बाँदा के खसरा सं0– 1305(भाग), 1303(भाग), 1339(भाग), 1344(भाग), 1345(भाग), 1346(भाग), 1367(भाग), 1368(भाग), 1301(भाग), 1277(भाग), 1276(भाग), 1270(भाग), 1269(भाग), 1270(भाग), 1269(भाग), 1148(भाग), 1156(भाग), 1155(भाग), 1157(भाग), 1154(भाग), 1208(भाग), 1210(भाग), 1221(भाग), 1220(भाग), 1228(भाग), 1218(भाग), 1219(भाग), 1192(नाला),

यह भी घोषणा की जाती है कि परिषद की राय में उक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ जायेगा। योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्वि होने के सम्बन्ध में भू–स्वामी अथवा उसके स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उक्त योजना क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्योरा, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड–02, बाँदा एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बाँदा में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ0प्र0 गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बंन्धित आपत्तियां कार्यालय, आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड–02, बाँदा एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बाँदा में प्रेषित की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही–सही अंकित होना चाहिये।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKASH PARISHAD

[Land Acquisition Section]

[Notice Under Section-28 of the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act. No. 1 of 1966)]

NOTICE

September 16, 2025

No. 1170/L.A.C./H.Q.--The U.P. Awas Evam Vikas Parishad has framed a scheme called Bhoomi Vikas Evam Grihsthan yojna No.-2, Banda with a view to solve the acute housing problem of Banda city.

The Boundary of the Area Comprised in the scheme are as follows:-

East- Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda, Khasra no. 3806, 3815, 3666, 3630(Part) and 3721(Part)

West- Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, Banda Chilla- Kanpur Road- Khasra No. 3276

North- Land Details of Khasra's sharing boundary with service lane of Bundelkhand Expressway-Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda, Khasra no. – 4196(Part),4194(Part), 3863(Part) ,3862(Part) ,3519(Part) ,3473(Part), 3474(Part),3475 (Part),3476(Part), 3489(Part), 3488(Part), 3487(Part), 3486(Part), 3485(Part), 3481(Part), 3482(Part) ,3539(Part), 3540(Part), 3578(Part) ,3711(Part)] 3709(Part) ,3708(Part), 3707(Part), 3704(Part), 3699(Part), 3686(Part), 3685(Part), 3684(Part), 3705(Part), 3597(Part), 3598(Part), 3599(Part), 3600(Part), 3610(Part), 3629(Part), 3630(Part)

South- Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda Khasra no.- 4215, 4216, 4219, 4221, 4222, 4223, 4147, 4146, 4145, 4144, 4143, 3862 (Part), 3863(Part),

Details of all the khasres from the proposed scheme to indentified nala for water disposal:- Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda Khasra no.- 1305(Part), 1303(Part), 1339(Part), 1344(Part), 1345(Part), 1346(Part), 1367(Part), 1368(Part), 1301(Part), 1277(Part), 1276(Part), 1270(Part), 1269(Part), 1148(Part), 1156(Part), 1155(Part), 1157(Part), 1154(Part), 1208(Part), 1210(Part), 1221(Part), 1220(Part), 1228(Part), 1218(Part), 1219(Part), 1192(Nala),

It is also declared that on the execution of the Housing and Development Scheme aforesaid, any land in that area comprised in the scheme which may not be required for execution there of will in the opinion of the board be increased in V value "Betterment Fee" in accordance with provision of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam shall be payble by owner of the land or by any person having an intrest there in respect of increased in the value of the land resulting from the execution of the scheme.

The map of area Particular of the scheme and detail of land proposed to be acquired may be seen at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow, Office of the Executive Engineer, Construction Division Bundel khand-02, Banda or Collectorate Compound Banda on any working day between 11.00 A.M. to 3.00 P.M.

Objection to the scheme shall be received at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahtma Gandhi Marg Lucknow, Office of the Executive Engineer Construction Division Bundelkhand-02 Banda or Collectorate Compound Banda by at the date within 30 days form the date on which this notice is first published in Uttar Pradesh Gazette. Correct Name of the Scheme and full Particular of the land/building of the objector with in the scheme and, name of Village, khasra No. area etc. should be clearly mentioned in every objection.

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

PUBLIC-NOTICE

Applicant Adv. Shri M. S. CHAUDHARY

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL

CITY CIVIL & SESSIONS COURT, BHADRA, AHMEDABAD-380.001.

Fixed on: 08/08/2025 **Exh. 33**

M.A.C.P. No. 729 OF 2018

APPLICANT:- 1) LAXMIBEN DAYARAM YADAV (WIDOW OF DECEASED DAYARAM HARIHAR YADAV)

2) NIRAJKUMAR DAYARAM YADAV (SON OF DECEASED DAYARAM HARIHAR YADAV)

3) NISHANT DAYARAM YADAV (SON OF DECEASED DAYARAM HARIHAR YADAV)

Versus

OPPONENT -1. 1) DINESH BANSAL S/o MOTILAL BANSAL
RESIDENCE-VIKRAMPUR, TA-DIST-ITAVA (UTTAR PRADESH)
PIN CODE-206001.

WHEREAS, the applicant has filed claim petition in this tribunal for compensation of Rs. 74,97,200- U/s. 166 of M.V. Act on 29/12/2018 for accident caused by LUXURY VEHICLE No. UP75 M 9815 on Dt. 29/05/2018 at near Narol Pipalaj National Transport Road Ahmedabad in jurisdiction of Narol Police Station, Dist-Ahmedabad and Notice of this Tribunal against opponent No.1 has been returned unserved since long time.

This PUBLIC NOTICE is issued by the Tribunal for Opponent No.1.

Take Notice of this claim that it will be heard by the Tribunal on 08/08/2025 at 3.00 pm.

If you will not appear and file your defense, the claim will be decided ex-party against you.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF THIS COURT.

THIS 9TH DAY OF JULY OF THE YEAR 2025.

By Order
(P. Y. MODI)
Dy. Registrar,
City Civil & Sessions Court,
Bhadra, Ahmedabad.

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ

विज्ञप्ति

30 सितम्बर, 2025

सं0 SMF/8488/25– उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निर्वाचन संबंधी नियम 2 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नियम 3 के भाग 9–10 एवं 11–12 में उल्लिखित समस्त निर्वाचक गणों को सूचित किया जाता है कि फैकल्टी के निम्नलिखित सदस्यों की सदस्यता उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों को समाप्त हो गयी है जिसके कारण उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की शासी समति में क्रमश चार स्थान रिक्त है. उनकी पूर्ति के लिए चार सदस्यों का निर्वाचन होना है।

1–डॉ० विनीत शर्मा	नियम 3 के भाग–9 के अन्तर्गत
2–डॉ० अनिल कुमार अग्रवाल	नियम 3 के भाग–10 के अन्तर्गत
3–डॉ० अजय शुक्ला	नियम 3 के भाग–11 के अन्तर्गत
4–डॉ० विनीता सिंह	नियम 3 के भाग–12 के अन्तर्गत

उपरोक्त निर्वाचन संबंधी नियमों के नियम 1 (ए) के अनुसार सचिव, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ निर्वाचन अधिकारी हैं।

चुनाव हेतु प्रत्याशियों का मनोनयन/निर्वाचन नामांकन पत्रों द्वारा किया जायेगा जो सचिव, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 5. सर्वपल्ली माल एवेन्यू, लखनऊ से प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रत्येक नामांकन पत्र दो निर्वाचकों (1 प्रस्तावक और 1 अनुमोदक) द्वारा समर्थित होना चाहिए।

अस्तु उक्त निर्वाचन के विभिन्न सोपानों के लिए तिथियाँ एवं समय निर्धारित किया जाता है। किसी निर्वाचक को मतपत्र प्राप्त न होने पर निर्वाचन अधिकारी से मिलकर दिनांक 18.10.2025 से प्राप्त किया जा सकता है।

1.	नमांकन पत्रों के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुंचने की तिथि एवं समय	गजट प्रकाशन की तिथि से 27 अक्टूबर, 2025 को अपरान्ह 2 बजे तक
2.	नमांकन पत्रों के जांच की तिथि एवं समय	27 अक्टूबर, 2025 को अपरान्ह 2 बजे से सायं 5 बजे तक
3.	प्रत्याशिता वापस लेने की तिथि एवं समय	3 नवम्बर, 2025 को सायंकाल 5 बजे तक
4.	एक से अधिक प्रत्याशी होने की दशा में मतपत्र निर्वाचकों को भेजने की अंतिम तिथि	2 दिसम्बर, 2025
5.	मतपत्रों के निर्वाचन अधिकारी के पास वापस पहुँचने का समय एवं अंतिम तिथि	23 दिसम्बर, 2025 को 12 बजे दिन तक
6.	मतपत्रों की जाँच एवं गणना की तिथि एवं समय	26 दिसम्बर, 2025 को 1 बजे से

नोट–(*) क्रम संख्या 4, 5 एवं 6 पर अंकित तिथियाँ आवश्यकतानुसार बढ़ायी भी जा सकती है। बढ़ाने की स्थिति में सूचना राजकीय गजट में प्रकाशित की जायेगी।

डा0 अनुराग श्रीवास्तव,
सचिव/निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

कार्यालय, नगर पंचायत खिमसेपुर, फर्रूखाबाद

29 जुलाई, 2025 ई0

सं0 133 / न0पं0खिम0 / सार्व0सू0 / 2025-26—नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0एक्ट संख्या-2,1916) की धारा-128 (1) के उपखण्ड (13-ख) तथा धारा-298 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत खिमसेपुर, जनपद-फर्रूखाबाद ने अपनी सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर कर उगाहने हेतु बोर्ड बैठक दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के अन्य प्रस्ताव संख्या-11 द्वारा नियमावली बनायी गयी है, जिसे उक्त एक्ट की धारा-131 (3) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कार्यालय नगर पंचायत खिमसेपुर के पत्र सं0-48 / न0पं0खिम0 / सार्व0सू0 / 2025-26 दिनांक 14 मई, 2025 द्वारा उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दिनांक 15 मई, 2025 को ''दैनिक समाचार-पत्र अमरेश दर्पण एवं दैनिक जागरण'' में कराया गया है, जिसमें आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने की अवधि सार्वजनिक सूचना की प्रकाशन की तिथि से एक माह अर्थात 30 दिवस थी, किन्तु निर्धारित समयावधि समाप्त होने के प्श्चात् कोई दावा / आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत खिमसेपुर को प्राप्त नहीं हुई है। सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु उक्त सार्वजनिक सूचना का अन्तिम प्रकाशन किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश, सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी—

नियमावली

1— संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ प्रवृत्ति—

1— यह नियमावली नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखें पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली, 2025 कहलायेगी।

2— यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी, जब से नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जायें।

3— यह ''नगर'' में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होगी।

2— परिभाषाएं— विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

क— "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या-2, सन 1916) से है ।

ख— "नगर" का तात्पर्य नगर पंचायत खिमसेपुर जनपद-फर्रूखाबाद से है।

ग— "शुल्क" का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, सन 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है ।

घ— "इण्डियन स्टाम्प एक्ट'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899) से है।

ड़—"नगर पालिका / नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत खिमसेपुर, जनपद-फर्रूखाबाद से है।

च— "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत खिमसेपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

छ— "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत खिमसेपुर से है।

ज– "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-128 की उपधारा (1) के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3– नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

4– कर के लेखे रखना-निबंधक अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् लेखें रखेगा, जिसमें वह शुल्क व कर दिखायेगा।

5– निबंध अधिकारी, जो दिवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (एक्ट संख्या-16 1908) की धारा-89 के अधीन उन्हे अपनी पुस्तक संख्या 1 में नर्त्थ करें। राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेंगे।

6– निबंध अधिकारी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, और अक्टूबर के महीनों में पृथक् पृथक् तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूली की गयी धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबंधक को उपयुक्त प्रत्येक महीने के पाँचवे दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

7– जिला निबंधक ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के 10वें दिनांक तक तिमाही विवरण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित को भेजेगा।

1– निबन्धक, महानिरीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– अपर सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, इलाहाबाद।

3– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खिमसेपुर जनपद-फर्रूखाबाद।

4– महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद।

8– (1)– नगर पंचायत खिमसेपुर की ओर से उगाही कर धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जावें, काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत खिमसेपुर को लौटा दी जायेगी, प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खिमसेपुर जनपद-फर्रूखाबाद प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को फाइनेंशियल हैण्ड बुक खण्ड-5 भाग के प्रपत्र संख्या-19 में दों प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी, जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान का धनराशि प्राप्त करेगा।

(2)– पालिका निबंधक और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगा, जो नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

(3)– कर लगाने की प्रक्रिया– उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रांसगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका/नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी।

1– अब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धक के लिये प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धक अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट, की धारा-27 में निर्दिष्ट ब्यौरा–

निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् दिये गये है–

क– नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति, और

ख– नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

2– यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक्-पृथक् व दिये गयें हो तो निबन्धक अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा-128क की उपधारा (4) धारा नगर पालिकाओं पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

9– **अभिलेख का निरीक्षण**– अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धक कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

10– इस उप नियमावली की उपरोक्त किसी भी उपधारा में किसी प्रकार का संशोधन का अधिकार, अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष में निहित होगा।

शास्ति

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) के द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत खिमसेपुर, जनपद-फर्रूखाबाद यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपबन्धों का उल्लघंन अर्थ-दण्ड लिया जायेगा, जो रु0 10,000.00 हो सकता है।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत खिमसेपुर,
जनपद-फर्रूखाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरूषि पाल पुत्री हीरामणि पाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–4950 4614 7612 में उसका नाम आरूचे हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आरूषि पाल पुत्री हीरामणि पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हीरामणि पाल,
पुत्र बाबू लाल पाल
निवासी–कंसापुर पोस्ट व तहसील ज्ञानपुर,
जिला संत रविदास नगर भदोही उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राहुल गौतम पुत्र मोहन लाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8962 3512 5408 में उसका नाम राम प्रताप गौतम हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राहुल गौतम पुत्र मोहन लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मोहन लाल,
ग्राम–पोस्ट सराय इनायत, तेन्दुई,
हनुमानगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम स्वास्तिका रावत पुत्री विशाल कुमार रावत है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–3846 3776 6765 में उसका नाम स्वातिका रावत पुत्री विशाल कुमार रावत हो गया है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम स्वास्तिका रावत पुत्री विशाल कुमार रावत के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विशाल कुमार रावत,
पुत्र श्री शंकर लाल रावत,
निवासी–108 अम्बेडकर नगर,
नैनी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंदाज सिंह यादव (Andaaz Singh Yadav) पुत्र जगमोहन सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8962 2521 1816 में उसका नाम कृष्णा सिंह यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंदाज सिंह यादव (Andaaz Singh Yadav) पुत्र जगमोहन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जगमोहन सिंह,
पुत्र स्व0 अमृत लाल,
निवासी– अम्बरपुर, बंथरा, सिकन्दरपुर,
बंथरा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मृत्युंजय यादव (MRITUNJAY YADAV) पुत्र अजय कुमार यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8832 6266 6637 में उसका नाम मुर्तुन्जय यादव (MURTUNJAY YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मृत्युंजय यादव (MRITUNJAY YADAV) पुत्र अजय कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अजय कुमार यादव, पुत्र रामनरेश यादव,
ग्राम–परवेजाबाद पोस्ट-मुगरसन तहसील फूलपुर,
जिला– प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम खुशबू पुत्री संगम लाल है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में मेरा नाम अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–5647 7247 9546 में रानू अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम खुशबू पुत्री संगम लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

खुशबू पुत्री संगम लाल,
ग्राम गड़रियन का पुरवा,
पोस्ट म्योहर जनपद कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम निशान्त सिंह (NISHANT SINGH) पुत्र संदीप सिंह (SANDEEP SINGH) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5994 4991 3517 में उसका नाम अथर्व सिंह (ATHARV SINGH) हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम निशान्त सिंह (NISHANT SINGH) पुत्र संदीप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संदीप सिंह,
पुत्र बेचन सिंह,
निवासी– ग्राम कुसाँव, पोस्ट भौपुर,
जनपद जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम संस्कार अक्षज श्रीवास्तव पुत्र अंकुर श्रीवास्तव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8375 2381 5193 में उसका घरेलू नाम शब्द श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम संस्कार अक्षज श्रीवास्तव पुत्र अंकुर श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अंकुर श्रीवास्तव,
निवासी–285, चकबबुरा अलीमाबाद,
नैनी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रूंद्राश गुप्ता है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–2502 2931 2572 में उसका नाम रूद्रा अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रूंद्राश गुप्ता पुत्र संतोष कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सन्तोष कुमार गुप्ता,
ग्राम ईश्वरपुरा गोठहुली पो0 जिला बस्ती,
तहसील बलिया उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दीपक कुमार तिवारी पुत्र रमेश तिवारी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार सं0–5516 1820 2472 में मेरा नाम पियूष कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दीपक कुमार तिवारी पुत्र रमेश तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दीपक कुमार तिवारी,
ग्राम बढवालिया बुजुर्ग पोस्ट,
मठिया नरईपुर तहसील पडरौना,
जिला कुशीनगर उ0प्र0।

सूचना

मैं अजय कुमार गिरी पुत्र शिव शंकर गिरी पता– 176 टी सरस्वती पुरम कालोनी ग्राम कनिहार झूंसी, प्रयागराज । मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 9941 6949 0666 में उसका नाम अंग्रेजी में SAMUYA दर्ज हो गया

है जो कि गलत है। मेरी बेटी का सही नाम SAUMYA है। भविष्य में मेरी पुत्री को SAUMYA के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अजय कुमार गिरी,
पुत्र शिव शंकर गिरी,
172–टी सरस्वतीपुरम कालोनी कनिहार,
झूंसी प्रयागराज।

सूचना

मेरी पुत्री का सही नाम अनन्या शर्मा पुत्री अखिलेश कुमार शर्मा है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–6315 2050 1846 में उसका नाम भवना वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनन्या शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भावना वर्मा,
पत्नी अखिलेश कुमार शर्मा,
125/1 राजापुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सिद्धार्थ गौतम पुत्र राजू है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–4689 1481 6677 में उसका नाम अंलकार अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम हैं भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजू,
पुत्र स्व0 लल्तूराम,
नि0– ग्राम बघैया पोस्ट हथियागाजीपुर,
थाना–मानपुर, जानपद सीतापुर उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स–एजीआरएस डेवल्पर्स, एचआईजी–26, अवंतिका फेस–1, ए0डी0ए0 कॉलोनी, रामघाट रोड़, अलीगढ़ परिवर्तित पता–हाउस नं0–4/1796, खसरा नं0 391, क्रोंसिंग, केला नगर, बेगपुर कंजोला, अलीगढ़ के भागीदारों में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह है कि उक्त फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 1–श्री इजलाल अहमद पुत्र श्री शाह मुहम्मद खान, श्री असरार अहमद पुत्र श्री शाह मुहम्मद खान, श्री फहाद खान पुत्र श्री इजलाल अहमद निवासीगण–सर सैय्यद नगर, अलीगढ़, श्रीमती रिंकी अग्रवाल पत्नी श्री सुमित कुमार अग्रवाल व श्री सुमित कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 दिनेश चन्द्र अग्रवाल निवासीगण–322, न्यू अशोक नगर कॉलोनी, गूलर रोड, अलीगढ़ व 6–श्री मधुकर शर्मा पुत्र श्री किशन प्रसाद, निवासी–टीकाराम बिल्डिंग, आगरा रोड, अलीगढ़, नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये तथा फर्म की पूर्व भागीदार श्रीमती छाया गर्ग पत्नी श्री पुनीत गर्ग निवासी 2/257, विष्णुपुरी, अलीगढ़ अपनी स्वेच्छा से अलग हो गई है। इसके पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व भागीदार श्री हर्ष शर्मा पुत्र श्री राजीव शर्मा, निवासी एम0एस0 15 ए ए0डी0ए0 कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़, 2–श्री पुनीत गर्ग पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी 2/257, विष्णुपुरी, अलीगढ़, 3–श्री अर्पित शर्मा पुत्र स्व0 संजीव शर्मा, निवासी एम0एस0 15 ए ए0डी0ए0 कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़, 4–श्रीमती रिंकी अग्रवाल पत्नी श्री सुमित कुमार अग्रवाल, श्री सुमित कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 दिनेश चन्द्र अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा फर्म में 1–श्रीमती तराना अहमद पुत्री श्री गुलजार अहमद, 2–श्री ताबीश अहमद पुत्र श्री इजलाल अहमद, 3–श्री एम0 नबील अहमद पुत्र श्री इजलाल अहमद, 4–श्री यावर खान पुत्र श्री इजलाल अहमद, निवासीगण 4/1266 सी, सर सैय्यद नगर, अलीगढ़ नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म का संचालन 1–श्री मधुकर शर्मा, 2–श्री इजलाल अहमद, 3–श्री असरार अहमद, 4–श्री

फहाद खान, 5–श्रीमती तराना अहमद, 6–श्री ताबीश अहमद, 7–श्री एम0 नबील अहमद, 8–श्री यावर खान भागीदार हो गये हैं।

मधुकर शर्मा,
भागीदार,
मेसर्स–एजीआरएस डेवल्पर्स,
एच आई जी–26, अवंतिका फेस–1,
ए0डी0ए0 कॉलोनी, रामघाट रोड़,
अलीगढ़ परिवर्तित पता–हाउस नं0–4/1796,
खसरा नं0 391, क्रोंसिंग, केला नगर,
बेगपुर कंजोला, अलीगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स आरजीआई राईज ग्लास इण्डस्ट्रीज, यू0डी0 25 एकड़ यू0पी0एस0आई0डी0सी0 जलेसर रोड, फिरोजाबाद के साझेदारों/विधान में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार से हैं–

यह कि दिनांक 21 अगस्त, 2025 से फर्म के भागीदार श्री सुरेशचंद्र बंसल पुत्र श्री श्रीधर लाल बंसल निवासी 662, शिव नगर, जलेसर रोड, फिरोजाबाद तथा श्रीमती सपना बंसल पत्नी श्री आशीष बंसल, निवासी 662, शिव नगर, जलेसर रोड, फिरोजाबाद फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये है तथा उक्त दिनांक को ही श्री मनीष लालवानी पुत्र श्री घनश्याम दास लालवानी, निवासी–एफ0एम0 इन्फ्रासिटी जरौली कलां, फिरोजाबाद, श्री कुश लालवानी पुत्र श्री मनीष लालवानी, निवासी उपरोक्त, श्री स्पर्श बंसल पुत्र श्री आशीष बंसल, निवासी 662, शिव नगर, जलेसर रोड, फिरोजाबाद तथा श्रीमती राशिका विज पत्नी श्री रोहित विज, निवासी–गनेश नगर, फिरोजाबाद को साझेदार की हैसियत से फर्म में सम्मिलित कर लिया है। अब उक्त फर्म का संचालन श्रीमती उर्मिला बंसल, श्री मनीष लालवानी, श्री कुश लालवानी, श्री स्पर्श बंसल व श्रीमती राशिका विज के द्वारा किया जा रहा है।

उर्मिला बंसल,
भागीदार
मेसर्स आरजीआई राईज ग्लास इण्डस्ट्रीज,
यू0डी0 25 एकड़ यू0पी0एस0आई0डी0सी0
जलेसर रोड, फिरोजाबाद।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स तिवारी एण्ड सन्स, 122 डिफेन्स स्टेट फेस–2 देवरी रोड, आगरा परिवर्तित पता–69 ओम गार्डन फेस–2, ग्वालियर रोड, इटौरा, आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह कि दिनांक 23 सितम्बर, 2023 को फर्म के साझेदार श्री विजय बहादुर तिवारी पुत्र स्व0 श्रीराम तिवारी निवासी–ग्राम सौथना पोस्ट खरगपुर सरिया, जिला इटावा की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी साझेदारी समाप्त हो गई है। अब फर्म में श्री बसन्त कुमार तिवारी, श्री सुधीर कुमार तिवारी तथा संध्या तिवारी साझेदार है।

बसन्त कुमार तिवारी
साझेदार
मेसर्स तिवारी एण्ड सन्स,
122 डिफेन्स स्टेट फेस–2 देवरी रोड,
आगरा परिवर्तित पता–69 ओम गार्डन फेस–2,
ग्वालियर रोड, इटौरा, आगरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से भागीदारी फर्म मेसर्स जे0पी0 कोल्ड स्टोरेज, नियर देवेन्द्र सन्धू धर्मकांटा, नगला माकरोल, ग्वालियर रोड, आगरा का पता परिवर्तित कर खाटा नं0–422, गाटा नं0–1047 मौजा सिकन्दरपुर, तहसील खेरागढ़, आगरा कर दिया गया है और फर्म का संचालन 1–श्रीमती सरिता बंसल, 2–श्री बृजेश बंसल, 3–श्रीमती श्याम बाई, 4–श्री ओमप्रकाश बंसल व 5–श्रीमती स्वेता बंसल के द्वारा किया जा रहा है।

बृजेश बंसल
भागीदार
मेसर्स जे0पी0 कोल्ड स्टोरेज, नियर देवेन्द्र
सन्धू धर्मकांटा, नगला माकरोल,
ग्वालियर रोड आगरा
परिवर्तित पता–खाटा नं0–422,
गाटा नं0–1047 मौजा सिकन्दरपुर,
तहसील खेरागढ़, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रचना गौतम पुत्री राजू है, जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–8949 9689 9938 में उसका नाम रविता देवी अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रचना गौतम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजू,

पुत्र स्व0 लल्तूराम,
नि0–ग्राम बघैया पोस्ट हथियागाजीपुर,
थाना मानपुर, जनपद सीतापुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आकर्ष राज कनौजिया पुत्र संजय कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9646 5481 0766 में उसका नाम आकाश राज कनौजिया अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आकर्ष राज कनौजिया पुत्र संजय कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संजय कुमार, पुत्र रामदुलारे,
पता–हीरापुर, शाहपुर, सीसा मऊ,
गोंडा उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम गरिमा केशरवानी पुत्री अनिल केशरवानी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–3501 1041 0033 में उसका नाम सोनाक्षी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम गरिमा केशरवानी पुत्र अनिल केशरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनिल केशरवानी पुत्र लक्ष्मन केशरवानी,
निवास–महेवा, पूरब पट्टी,
महेवा पट्टी, पूरब उपरहार, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम तनुश्री पुत्री अरूण कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0–3201 1710 4317 में उसका नाम प्रज्ञा प्रखर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम तनुश्री के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरूण कुमार, पुत्र महेन्द्र प्रताप,
निवासी–ग्राम जिगना, पोस्ट सिसौरा कला,
जिला चन्दौली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम जयावर्धन (JAYAVARDHAN RAJ) पुत्री राजेन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0–2074 6381 8851 में उसका नाम यामिनी राज (YAMINI RAJ) अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम जयावर्धन राज

(JAYAVARDHAN RAJ) पुत्री राजेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दुर्गेश नन्दिनी पत्नी राजेन्द्र कुमार,
पता–मं0नं0–35, दुखरनपुर, चकापुर,
संतरविदास नगर भदोही, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स रुद्राक्षा एसोसिएटस, नियर होली फ्लेम स्कूल, महुईसुधरपुर, विवेकपुरम, पो०– सिद्धार्थ इन्क्लेव, जनपद–गोरखपुर में साझेदारी डीड दिनांक 16 फरवरी, 2019 को सहायक निबन्धक फर्मस सोसाइटीज एवं चिटस, जनपद–गोरखपुर के वहां चार पाटर्नर कमशः श्री प्रियदर्शन राम त्रिपाठी पुत्र श्री जयराम त्रिपाठी, व श्री सभाशंकर शुक्ला पुत्र श्री शारदा प्रसाद शुक्ला व श्रीमती सुजाता शुक्ला पत्नी श्री सभाशंकर शुक्ला व श्रीमती इन्द्रा त्रिपाठी पत्नी श्री प्रियादर्शन राम त्रिपाठी रजिस्ट्रेशन संख्या GOR/0003144 पर पंजीकृत है। तथा फर्म श्री प्रियदर्शन राम त्रिपाठी पुत्र श्री जयराम त्रिपाठी व श्रीमती इन्द्रा त्रिपाठी पत्नी श्री प्रियादर्शन राम त्रिपाठी दिनाक 26.06. 2025 ये अलग हो रहे है। अब फर्म में वर्तमान दो पाटर्नर मौजूद है। तथा फर्म से अलग हो रहे साझेदारो का फर्म में कोई लेन–देन बकाया नहीं है।

सभा शंकर शुक्ला,
साझीदार,
मेसर्स रुद्राक्षा एसोसिएटस,
नियर होली फ्लेम स्कूल, महुईसुधरपुर,
विवेकपुरम, पो०– सिद्धार्थ इन्क्लेव,
जनपद– गोरखपुर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० श्री राम मां शारदा कोल्ड स्टोरेज, खाता नं0 19, गाटा नं0 264 ग्राम बसई, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़–202124 के भागीदार/विधान में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह कि दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को फर्म के भागीदार श्री अभिनव शर्मा पुत्र श्री सुनील कुमार शर्मा निवासी जी–19, पार्श्वनाथ ईडन अल्फा–2 ग्रेटर नोएडा, रामपुर जागीर, गौतम बुद्ध नगर तथा श्री करूणेश मोहन दीक्षित पुत्र श्री मिश्री लाल निवासी ग्राम चन्दपा मीतई जिला हाथरस उपरोक्त फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा उक्त दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को ही श्रीमती अनुपम शर्मा पुत्री श्री प्रवीन कुमार निवासी ग्राम बरौठ महुआ जिला अलीगढ़ तथा श्री जितेन्द्र दीक्षित पुत्र श्री करुणेश मोहन दीक्षित निवासी ग्राम चन्दपा मीतई जिला हाथरस उक्त फर्म में नये भागीदार की हैसियत से सम्मिलित हो गये है। अब फर्म में श्री अभिषेक पाराशर, श्री अनुभव पाराशर, श्रीमती अनुपम शर्मा व श्री जितेन्द्र दीक्षित भागीदार हो गये हैं ।

अभिषेक पाराशर,
भागीदार,
मे0 श्री राम मां शारदा कोल्ड स्टोरेज,
खाता नं. 19, गाटा नं. 264 ग्राम बसई,
तहसील इगलास, जिला अलीगढ उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स–ओम सर्विस स्टेशन, ग्राम–पाली महराजगंज, हैदरगढ़ रोड, जिला–रायबरेली, उ0प्र0–229306 रजि० नं0–RAE/0003203 का पंजीकरण दिनांक 18 अप्रैल, 2019 को कराया गया था जिसमें आरती सिंह प्रथम एवं धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय साझीदार थे, जिसमें प्रथम साझीदार आरती सिंह दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से फर्म से हट गयी हैं। जिनके स्थान पर श्री बब्बू भाई पुत्र श्री कालका प्रसाद निवासी ग्राम–रिसौरा, तहसील–नरैनी, जिला–बांदा, उ0प्र0–210129 को दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से शामिल कर लिया गया है। उक्त तिथि से पूर्व के प्रथम साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नही होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में बब्बू भाई प्रथम एवं धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है

धर्मेन्द्र कुमार सिंह,
साझेदार,
फर्म, मेसर्स–ओम सर्विस स्टेशन,
ग्राम–पाली महराजगंज, हैदरगढ़ रोड,
जिला–रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स प्रिंस लॉजिस्टिक जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन नं0 जी0बी0एन0/0003752 और व्यवसायिक स्थल ईको शॉप नं. 31, उधोग विहार, बिल्डिंग मैटेरियल मार्किट, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर–201306 है। उपरोक्त फर्म के भागीदार श्री सुनील कुमार नागर पुत्र श्री नत्थी सिंह ने स्वेच्छा से दिनांक 21 फरवरी, 2025 को अवकाश ग्रहण कर लिया है एवम श्री पंकज नागर पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह नागर को नये भागीदार के रूप में दिनांक 21 फरवरी, 2025 से ही फर्म में सम्मिलित कर लिया गया है। फर्म में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है।

सुरेन्द्र सिंह नागर,
व्यवसायिक स्थल ईको शॉप नं. 31,
उधोग विहार, बिल्डिंग मैटेरियल मार्किट,
ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० ररराम एनटरप्राईजेज, ए 15–16 मोती कुंज मथुरा उपरोक्त फर्म में साझेदार श्रीमती रूचि अग्रवाल पत्नी श्री नीरव निमेश अग्रवाल, कु० रीत अग्रवाल पुत्री श्री नीरव निमेश अग्रवाल, श्री आशुतोष कुमार पुत्र श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्रीमती मीरा अग्रवाल पत्नी श्री रमेश चन्द अग्रवाल सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 14 अप्रैल, 2023 को संचालन की थी दिनांक 19 अगस्त, 2025 से श्री पवन कुमार पुत्र श्री रकमवीर सिंह नये साझेदार के रूप में शमिल हो गये है दिनांक 19 अगस्त, 2025 श्रीमती रूचि अग्रवाल पत्नी श्री नीरव निमेश अग्रवाल, श्रीमती मीरा अग्रवाल पत्नी श्री रमेश चन्द अग्रवाल– अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नही है अब फर्म को कु० रीत अग्रवाल, श्री आशुतोष कुमार, श्री पवन कुमार संचालित करेंगे।

कु0 रीत अग्रवाल,
साझेदार,
मे० ररराम एनटरप्राईजेज,
ए 15–16 मोती कुंज मथुरा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स गर्गा गैस प्रोडक्ट्स, बी–259, मेजर ध्यानचंद नगर, दिल्ली रोड मेरठ की साझीदारी नामा में दिनांक 18 मई, 2016 के अनुसार श्री योगेन्द्र अग्रवाल, श्री विशाल गर्ग, श्रीमती आरती अग्रवाल एवं श्रीमती बीनम गर्ग साझीदार थे। दिनांक 22 अगस्त, 2025 संशोधित साझीदारी नामा के अनुसार श्री योगेन्द्र अग्रवाल एवं श्रीमती आरती अग्रवाल ने अपना-अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये है। अब श्री विशाल गर्ग एवं श्रीमती बीनम गर्ग साझीदार है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है

विशाल गर्ग,
साझीदार,
मेसर्स गर्गा गैस प्रोडक्ट्स, बी–259,
मेजर ध्यानचंद नगर, दिल्ली रोड मेरठ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s R-S-Package Industries, Krishna Kunj- 207, Westend Road, Meerut Cantt. की साझीदारीनामा में दिनांक 21 नवम्बर, 2003 के अनुसार श्री राजीव अग्रवाल एवं श्रीमती अनिता गुप्ता साझीदार थे। दिनांक 31 जुलाई, 2006 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्रीमती मंजू अग्रवाल साझीदारी में सम्मिलित हुई है तथा श्रीमती अनिता गुप्ता ने अपना हिसाब किताब ले देकर अलग हो गई है। दिनांक 31 जुलाई, 2006 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्री राजीव अग्रवाल एवं श्रीमती मंजू अग्रवाल साझीदार है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है

राजीव अग्रवाल,
साझीदार,
M/s R-S- Package Industries,
Krishna Kunj- 207, Westend Road,
Meerut Cantt.

NOTICE

It is notified that we, Mrs. Yasmeen Kamal & Mr. Ahmad Arsalan, Partners of the Firm M/s STOREHOUSEFACTORY having Registered Office at Bhatti Street, Moradabad- 244001 (Regd. No. MOR/0017049, Dated 03 January 2024), have changed the name of the aforesaid firm from M/s STOREHOUSEFACTORY to M/s STOREHOUSELIVING with effect from 01 October 2025, all other details of the firm remain unchanged.

Ahmad Arsalan,
S/o Ahmad Kamal,
R/o Bhatti Street, Moradabad &
Yasmeen Kamal W/o Ahmad Kamal
R/o Bhatti Street, Moradabad
Partners

M/s STORE HOUSE LIVING
Bhatti Street, Moradabad, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शक्ति इंडस्ट्रीज, ग्राम कस्मरिया पो0–पनेवा पनेही तहसील सदर जनपद महराजगंज, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 27.02.2020 से श्री विमलेश कुमार पटेल, श्री मनोज कुमार गुप्ता व श्रीमती उषा देवी एवं श्री दिनेश गुप्ता जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पत्रावली सं0 G/MAH/0007899 पर पंजीकृत है। यह की साझेदारी डीड दिनांक 25.08.2025 से श्रीमती उषा देवी एवं श्री दिनेश गुप्ता जी उक्त फर्म से अपना हक व हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो चुके है अब उक्त फर्म में श्री विमलेश कुमार पटेल एवं श्री मनोज कुमार गुप्ता जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

विमलेश कुमार पटेल
साझेदार
मेसर्स शक्ति इंडस्ट्रीज,
ग्राम कस्मरिया पो0–पनेवा पनेही
तहसील सदर जनपद महराजगंज, उ0प्र0

पी0एस0यू0पी0–28 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।